

मानते हैं तो यह उचित नहीं है। सेकुलरिज्म में हम किसी धर्म विशेष से जुड़े हुये नहीं हैं लेकिन मुझे यह कहना है कि सारी भाषाओं की जड़ संस्कृत है, दक्षिण की द्रविड़ भाषाओं में और उत्तर की दूसरी भाषाओं में संस्कृत का प्रवेश काफी है। जो लोग संस्कृत की मुखातिफत करते हैं या उसकी कद्र नहीं करते हैं उन तक शायद यह बात पहुँची नहीं है। सांस्कृतिक उन्नति के लिये देश को इंसीपरेशन संस्कृत भाषा से ही मिल सकता है। जब तक यह बात उन तक पहुँचेंगी नहीं तब तक न तो मिनिस्ट्री सही ढंग से काम कर सकती है और न हिन्दुस्तान का कल्चर ठीक ढंग से आगे बढ़ सकेगा।

हर भाषा में कवि हैं और बड़े बड़े कवि हैं, तो हमारे भाई आँकार नाथ ने कहा कि हम किस किस को स्मरण करेंगे और इससे तो हिन्दुस्तान का सारा बजट ही पूरा हो जायेगा। यह मेरा मतलब नहीं है। मेरा कहना यह है कि इसके लिये कदम बढ़ाया जाना चाहिये। बीसक एजुकेशन के लिये मिनिस्ट्री ध्यान दे रही हैं तो फिर इसके लिये भी एजुकेशन मिनिस्ट्री को फाइनेंस मिनिस्ट्री से लड़ना चाहिये कि हमारा कल्चरल काम रुका पड़ा है और हम संस्कृत भाषा के माध्यम से हिन्दुस्तान के कल्चर को ऊँचा उठाना चाहते हैं जिसकी कि दुनिया ने कद्र की है। जिस तरह से शेक्सपियर और गेटे को दूसरे देशों में मान दिया जा रहा है उसी तरह से आप अपने महान कवि कालिदास के लिये भी थोड़ा बहुत करें। अगर इसको समझने वाले मिनिस्ट्री में नहीं हैं तो मैं नहीं समझता कि यह मिनिस्ट्री क्या कर सकती है या किस तरह से हिन्दुस्तान के कल्चर को ऊँचा उठा सकती है।

तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहां की सारी डिबेट यहां की सारी स्पीचेंज मौलाना साहब के ध्यान में लाई जावें। मेरी यह अर्ज है कि हम तभी भारतवर्ष की संस्कृति और भारतवर्ष के कल्चर को ऊँचा उठा सकते हैं

जब कि हम संस्कृत भाषा से अपनी आत्मीयता समझें और उसके महाकवियों की इज्जत करें। उनकी इज्जत करना हमारा लाजमी कर्तव्य हो जाता है। जब आपने एक अकादमी खोली है तो इस मिनिस्ट्री का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अकादमी को यह गाइड्स दे, यह हिदायत भेजे कि इस तरह की डिबेट हुई है और इस तरह से कालिदास के लिये कुछ ज्यादा किया जाना चाहिये। आपने कहा कि रुपये की कोई कमी नहीं होगी, तो मुझे कोई एतराज नहीं है और अगर आप कहते हैं तो मुझे इस प्रस्ताव को वापस लेने में कोई एतराज नहीं है लेकिन इस भावना के साथ कि आप काफी रुपया देने वाले हैं, आप हमारी संस्कृत को, कल्चर को और संस्कृति को बढ़ाने वाले हैं। जब आप ऐसा करने को तैयार हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बाद में और देख लेंगे और समझ लेंगे। इस वक्त मैं इस प्रस्ताव को वापस लेने को तैयार हूँ।

The \*Resolution was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, the amendments also fall through.

#### RESOLUTION RE STANDARD KEY BOARD IN DEVANAGARI SCRIPT FOR USE IN HINDI TYPEWRITERS.

DR. RAGHUBIR SINH (Madhya Bharat): Mr. Deputy Chairman, I beg to move the following Resolution:

"This House is of opinion that Government should take early steps to evolve and recognise a standard key-board in Devanagari script for use in Hindi typewriters."

Sir, the Resolution is a simply straight one and does not admit of any controversy. It is an accepted fact that Devanagari is to be the *script franca*

\*For text of Resolution, vide Col. 1230 of Debate dated 4th March 1955.

[Dr Raghubir Sinha]  
 for the whole of India The only thing that is under dispute is whether the matter is being duly expedited or not It is not a matter of privilege or pleasure for me to have to move this Resolution here I must admit that it has never been my privilege to talk over this question with the hon Minister for Education but from what I have heard from persons who have been very close to him or who have any time discussed this matter with him, I understand that since the time this matter about Hindi and Devanagari was finally decided and embodied in the Constitution, the hon Maulana Saheb has been very anxious and ever desirous of doing something in this matter

3 P.M.

But, Sir, it has been a matter of genuine difficulty to all of us to really understand as to why these things have so long been delayed and delayed and delayed I must say that the policy that the Government has followed in this respect has been halting, indecisive and reticent I repeat these words with the fullest responsibility when I say that I know the difficulties that any Administration has to face It had been my privilege to head the Administration of a State for more than 10 years Therefore I know the administrative difficulties But I also know that things can be expedited if the Government wants to do so I personally feel that there is something radically wrong with the Ministry and it is with that view that I am raising this debate here for your close attention

Now I would like to place before the House in short as to what the whole question is The whole history of the question is quite an ancient one and I think there used to be a day when you yourself, Mr Deputy Chairman had the privilege of taking part in the meetings of the Constituent

Assembly It is well known that in April 1948 a letter was written by Dr Rajendra Prasad, who was then the President of the Constituent Assembly to the hon Prime Minister that

"A Committee of experts should be appointed to find out and recommend to the Government the most efficient system of Shorthand and the best arrangement of the keys of the Typewriter"

He also expressed in the same letter his intention to appoint such a Committee on behalf of the Constituent Assembly of India unless the Government preferred to appoint one itself In reply to that the hon Prime Minister himself in his letter dated the 11th April 1948 expressed his agreement with this proposal and added that Dr Rajendra Prasad might appoint a Committee on behalf of the Constituent Assembly of India So in pursuance of that view a Committee was appointed in 1948 and one of the tasks that was entrusted to it was thus mentioned

"The Committee will also report about the most efficient arrangement of keys for a Hindi Typewriter which will ensure reproduction of all sounds in use, and will give the best speed with the least possible labour and will be the best from the point of view of weight durability, portability and cost"

Now the report of this Committee was submitted to the Speaker of the Parliament of India on February 8 1951 From here onwards begins a tale which at least to me, is wholly understandable It will obviously be seen that Government was doing nothing in this respect for about one and a half years—from February 8 to September 12 1952 No action was taken in this respect The only thing that I had heard once when

that was mentioned by Kaka Kalelkar in this House that when he went to Germany he tried to negotiate some deal about getting some model typewriter prepared in Germany on the basis of the key board that was proposed in this report of the Finalising Committee which was submitted to the Parliament of India. But later that whole proposal fell through. Now, what happens is that after having slept over this report for a year and a half, the Government then issued a notification in which they say:

"(a) that a few typewriters to be manufactured according to the improved key board suggested by the Finalizing Committee.

(b) Typewriters with other key-board may as well be submitted for requisite tests.

Final decision to be taken after completion of tests on all such machines over a period of 12 months."

Now, Sir, after that, there is another lapse of nine months. Nothing was done for nine months and then on 4th June 1953 the Ministry of Education issued a Press Note in which it announced that:

"The Government of India have decided that a few typewriters should be manufactured according to the improved key board suggested by the Committee and subjected to exhaustive tests for speed and accuracy."

Then it says:

"The Government have also decided that others claiming to have designed better key boards may supply machines for similar tests."; and finally it said;

"Government's final decision on the selected key board will be announced on the completion of tests on all such machines over a period of twelve months."

Obviously it seems that either no typewriter was received or if any typewriters were received in reply to this demand, the Government did not take any action. For, later in answer to a question in this very House in November 1953 it was said by the Ministry that "the Government have decided that a few typewriters should be manufactured according to the key-board designed by the Kaka Saheb Kalelkar Committee." Then they said that the Government had ordered two typewriters to be made from the Remington Rand Company. This reply was given to my starred question No. 356 on the 30th November 1953. In the course of the answer to supplementary questions, it was also said that a Hindi Typewriter Keyboard Testing Committee had been appointed and this announcement was made in a letter that was addressed to various typewriter manufacturing companies. I understand, Sir, that just at this time a model typewriter prepared by a Swiss Company—Paillard—was submitted to the Government of India by Volkart Bros. who are now known as.....

DIWAN CHAMAN LALL (Punjab):  
 Voltas.

DR. RAGHUBIR SINH: Yes, Voltas That was submitted for inspection to the Education Ministry. Probably it was kept there for a few months and then returned. Nothing happened. So this Typewriter Testing Committee probably sat for some time or did something for that. It asked the manufacturers of the Typewriters to supply full necessary data about the key-board, to send their own operator, if asked to send one, and send their Hindi Typewriters for necessary tests. But there were no tests at all afterwards.

Later in answer to another question that I had asked in December 1954 it was said here that the Hindi Typewriter Testing Committee appointed in 1953—the one to which I have referred before—"expressed the view that the

[Dr. Raghubir Sinh.]

question of the fixation of a final key-board for Hindi typewriters was closely connected with the choice of the script and unless the question of script and the system of writing to be followed were decided, they could not make any progress in their work. A Committee has now been appointed by the Board of Scientific Terminology to consider the whole matter."

What I want to bring to the notice of the House is this. This proposal, I mean, this dictum about the Hindi Script by the Hindi Typewriters Testing Committee, this dictum was given by a committee which consisted of certain scientific men, only that is to say, the Director of the Indian Standards Institute, a Deputy Director of the National Physical Laboratory, a Senior Statistician of the Defence Science Organisation, a Senior Hindi Reporter and the Deputy Educational Adviser, Ministry of Education. Obviously none of these knew anything about the Hindi script and they did not do anything. When the first original Committee was appointed, in answer to an enquiry from its Chairman—that is, Kaka Saheb Kalelkar—Dr. Rajendra Prasad had definitely given the reply which is thus given in the Report:

"In reply to the Chairman's enquiry the Committee was subsequently informed by Hon'ble the President that these terms covered "Teleprinting and Reform of Script."

The Committee had thus before it the following three purposes:

- (i) The examination of the existing Hindustani Shorthand systems with a view to find which of these if any, could prove useful for Government purposes and business offices.
- (ii) The selection of the sounds of the Indian languages which must be represented in the key-board of the Hindi Typewriter and preparation of a

sketch of the key-board which would most efficiently meet, in their opinion, the needs of the Hindustani language.

and so on. The Report also says:

"The Committee had also, incidentally, to formulate the best possible telegraphic code based on the Devanagari script."

This Committee consisted of Shri Kaka Saheb Kalelkar, Shri M. Satyanarayana, Dr. Babu Ram Saksena and others, who knew everything about the Hindi script and who had not only studied the question but who had laboured hard for two years, made all the tests and then proposed a key-board and submitted the report. The typewriter key-board committee did not look at this report obviously, and the result was that another committee was appointed—or was being appointed—I stand corrected—consisting of Kaka Saheb Kalelkar, Dr. Babu Ram Saksena—who were already on the other Committee—Acharya Narendra Deva, a technical expert from the P. & T. Directorate and another from the Office of the Controller of Printing and Stationery. That meant that all that was done by the other Committee for three years, at the instance of the Constituent Assembly was undone and it was not.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a testing committee, to see how far the results may meet the demands of the Government.

DR. RAGHUBIR SINH: I beg to differ from you, Sir. The Testing Committee is completely different. The Testing Committee consisted of scientific men only. Here was a new committee that was supposed to have been appointed—containing those very people, for doing the same thing over again. That meant, as I said before that whatever work had been done previously was all in vain. I feel

that the Education Ministry has yet to give a definite reply. Obviously enough, none in the Ministry exactly knew as to what was happening there about it. An answer was given here in reply to my question and it has been later corrected. I will repeat what Dr. Shrimali said. At first it was "A committee has now been appointed by the Board of Scientific Terminology to consider the whole matter." And the correction is: "A committee is now being appointed" I think the Education Ministry does need some education as to know well the difference between the two sets of words. Sir, I do not want to say more on this question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He will answer it.

DR. RAGHUBIR SINH: Another submission is this. Now we are told after having accepted the report of the Lucknow Committee, with regard to something else some other committee is being appointed, to look into this matter once again. So finally the simple position is that we are today where we were in 1948 when the first Committee was originally appointed.

Now, I have only one remark to add. Dr. Shrimali had said on March 16, 1955 that the recommendations of the Lucknow Conference have been accepted. But my submission is that the Conference at Lucknow had nothing to do with key-board designing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But they had everything to do with the script.

DR. RAGHUBIR SINH: Yes, but anybody who has seen the Report of the Lucknow Conference would see that they were to see which of the alternative forms of some letters should be chosen, as to in what form the short "e" is to be put down, where its mark be made, and so on. Those were the things. But what I say is, whatever be the key-board one "अ"

has to be there. The second question is what should be the shape. Similarly in the case of ह्रस्व ~~ह्रस्व~~ <sup>certain</sup> marks should be given. But all that is simply another question. What should be the order on the key-board, the question of the frequency of the letters, the importance of the letters, they are all the same, they are not changed, we are not completely altering the script at all.

Therefore, my submission is that we have already wasted sufficient time over this question and it is time that the Government of India made up its mind to take a definite decision on what the key-board is going to be. Sir, I can assure everyone on this point that I do not hold any brief for any particular key-board. My only anxiety is that a definite decision must be taken as soon as possible and the reason why I say this is this. The lack of such a decision on the key-board has done a great deal of harm to the cause of Hindi, to the development of the use of Hindi in the national system of correspondence and also in official procedural work. Today every typewriter maker has a different key-board, and the result is nobody is able to properly develop speed and accuracy in their operation. As long as that is not done, it will not be possible to advance or in any way make the use of Hindi typewriters much more popular and then more useful than they are. Therefore, my submission is that Government should do everything in its power to expedite the decision on this matter. I know that Government themselves are keen on it. I know from what they have said that they too want a decision and feel that something should be done soon in this respect. Now that I have moved this Resolution, I do hope that the Education Ministry will show its seriousness and sincerity by accepting the Resolution and putting it into operation immediately.

Thank you Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Motion moved:

"This House is of opinion that Government should take early steps to evolve and recognize a standard key-board in Devanagari script for use in Hindi type-writers."

Mr. Satyanarayana.

श्री एम० सत्यनारायण (नामनिर्देशित) : उपसभापति जी, इस समय इस सदन के सामने जो प्रस्ताव है उसका मैं बड़े हर्ष के साथ समर्थन करना चाहता हूँ। इसका पहला कारण यह है कि यह हिन्दी टाइपराइटर से सम्बन्ध रखने वाला है। आप स्वयं जानते हैं कि मद्रास एक टाइपिस्टों का राज्य है। चूंकि मैं भी मद्रास का हूँ, इसीलिए टाइपराइटर में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। दूसरा कारण यह है कि टाइपराइटर के सम्बन्ध में मैं काफी काम कर भी चुका हूँ। तीसरा कारण यह है कि मैं बहुत दिनों से इस बात की कोशिश में हूँ कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा काम हो कि जिससे एक स्टैंडर्ड टाइपराइटर बन सके और जिसके द्वारा कई लोगों को टाइपराइटर की शिक्षा दी जा सके। लेकिन मुझे यह कहते बड़ा दुःख होता है कि अभी सरकार ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। जो कदम पीछे था उसको आगे नहीं बढ़ाया, अगर आगे बढ़ाया तो ठीक दिशा में अब तक नहीं बढ़ाया है। इसीलिए भी मैं चाहता हूँ कि सरकार बहुत जल्दी इस मामले में आगे बढ़े। यह भी हम जानते हैं कि लोगों को इस समय आजकल के शासन के कार्यों के लिए और साथ ही साथ देश के व्यापार के कार्य के लिए टाइपराइटर की कितनी आवश्यकता है और किस मात्रा में हम लोग टाइपराइटर में काम करते हैं। जब कि हम लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि हमारा देश की, खास कर हमारा राष्ट्र की भाषा हिन्दी होगी और उस में जब हम हिन्दी द्वारा लिखने पढ़ने का काम करेंगे तो टाइपराइटर की बहुत जरूरत होगी। इस समय हमारे पास अच्छे हिन्दी

टाइपराइटर नहीं हैं जिनके द्वारा हम लाखों की तादाद में लोगों को तैयार करना चाहते हैं, उनसे टाइप कराना चाहते हैं।

हमने यह अनुभव किया है कि जब कोई टाइपिस्ट एक टाइपराइटर सीखता है और जैसे ही वह दूसरे ऑफिस में जाता है तो उसे दूसरी तरह का टाइपराइटर मिलता है। यहाँ पर वह फिर दूसरे किस्म का टाइपराइटर सीखता है, उसके लिए मेहनत करता है, क्योंकि उसे अपना जीवन चलाना है। बदनसीब से उसे किसी तीसरे दफ्तर में जाना पड़ा तो वहाँ उसे नये किस्म का टाइपराइटर मिलता है और पिछला अनुभव उसे छोड़ देना पड़ता है। इस तरह से आज हिन्दी टाइपराइटरों में भिन्न भिन्न प्रकार के की-बोर्ड होने से लोगों को कष्ट हो रहा है। आप सब लोगों को यह मालूम होगा कि अंग्रेजी का एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जिससे कि अंग्रेजी टाइप करने वालों को चाहे वे किसी दफ्तर में भी चले जायें किसी तरह का कष्ट नहीं होता है। अगर हम हिन्दी के लिए भी इसी तरह का एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड तैयार कर दें तो जो दिक्कतें आज लोगों को मालूम हो रही हैं, वे दूर हो जायेंगी। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि जिस तरह से अंग्रेजी टाइपराइटर में स्पीड आ सकती है उस तरह से हिन्दी टाइपराइटर में नहीं आ सकती है। इसके लिए उन लोगों का कहना यह है कि अंग्रेजी टाइप राइटर में ४२, ४४ और ४६ ही कीज होती हैं और हिन्दी टाइपराइटर में ६० और ७५ होती हैं। किन्तु यह बात कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। हिन्दी टाइपराइटर के सम्बन्ध में भी यह कोशिश की गई है कि उसमें भी कम से कम कीज हों। इसके साथ ही साथ उसमें यह भी मान लिया गया है कि ६० और ७० अक्षरों के टाइपराइटर भी बनाये जायें किन्तु हमारे देश में जो इतने अंग्रेजी के टाइपराइटर हैं, उनको किस तरह से हिन्दी टाइपराइटरों में बदला जा सकता है।

अंग्रेजी में केवल २६ अक्षर हैं और आदमी आसानी के साथ काम कर सकता है लेकिन

घात असल में यह है कि अंगूजी के २६ छोट और २६ बड़े अक्षर होते हैं, इस तरह से ५२ अक्षर होते हैं। वैसे ही हिन्दी में भी ५२ अक्षरों से काम लिया जा सकता है, हिन्दी में ५२ अक्षरों से ज्यादा नहीं है। इस प्रस्ताव में जो यह बात कही गई है कि हिन्दी टाइपराइटर के लिए एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होना चाहिये, उसका मतलब यह है कि हमें अपने हिन्दी टाइपराइटरों में शब्दों को इस प्रकार से रखना चाहिये जिससे कि टाइप करने में सुगमता हो और तीव्र गति से भी किया जा सके। यह कार्य किस तरह से हो सकता है, यह बात हमें और सरकार को सोचनी है। हमें इस बात को वैज्ञानिक ढंग से सोचना होगा। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि कौन सा अक्षर ज्यादा आता है, अंगुली कहां पर ज्यादा चलती है, इस तरह की बातों को हमें देखना होगा। अगर हमने वैज्ञानिक ढंग से इस चीज को किया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से अंगूजी में १०० अक्षर की स्पीड आ सकती है, उसी तरह से हिन्दी टाइपराइटर में भी आ सकती है। अंगूजी टाइपराइटर वैज्ञानिक ढंग से नहीं बनाया गया है, उस में शब्द कम हैं, यह बात मैं मानता हूं लेकिन हम भी हिन्दी टाइपराइटर को उसी गति के समान बना सकते हैं, अगर इन बातों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। अगर हमने इन बातों को ध्यान में रखा और इन सब चीजों का समन्वय करके कार्य किया तो हम अवश्य हिन्दी टाइपराइटर की गति प्राप्त करने में कामयाब होंगे।

इसके अलावा मुझे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह कहना है कि इस प्रस्ताव में "हिन्दी टाइपराइटर" का नाम दिया गया है, अगर उसकी जगह में "नागरी टाइपराइटर" का नाम दिया गया होता तो मैं ज्यादा पसंद करता। मैं यह बात मानता हूं कि यह बात कांस्टीट्यूशन में मान ली गई है कि हिन्दी भाषा की लिपि देवनागरी होगी।

हमारी मराठी, बंगाली और गुजराती भाषा हिन्दी भाषा से बहुत कुछ मिलती जुलती है

तो फिर आप इसे 'हिन्दी टाइपराइटर' का नाम क्यों दते हैं? इस चीज से हमको हानि पहुंचने वाली है, वक्त जाया होने वाला है। हमारे देश में करीब ४ करोड़ स्कूल, कालेज और हाई स्कूल हैं, हमारे देश में अशिक्षित लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, हमें उन्हें साक्षर करना है। हमारे विधान में यह दिया हुआ है कि १० साल के अन्दर हमें सब लोगों को साक्षर करना है। अगर हमारी लिपि आसान होगी तो तब ही हम सब लोगों को आसानी के साथ साक्षर बना सकेंगे। यह तो तब ही हो सकता है जब कि हमारी लिपि में जो मुद्रण यंत्र हैं वे कम हों।

हमने अपने देश में १४ भाषाओं को मान्यता दी है। इनमें से बंगाली, गुजराती और मराठी भाषा ऐसी हैं जिनकी लिपि देवनागरी लिपि से मिलती जुलती हैं। इसके साथ ही साथ दक्षिण की चार भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि देवनागरी लिपि से नहीं मिलती हैं। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है, वह यह है चाहे आप हिन्दुस्तान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जिस जगह भी जायें, आपको यह अनुभव होगा कि इन जगहों में अक्षर चाहे अलग अलग हैं, किन्तु उनके जो स्वर हैं, वर्ण माला है और फोनेटिक सिस्टम है, वह एक सा है। सिर्फ अक्षरों में अन्तर है, फोनेटिक सिस्टम में अन्तर नहीं है। यह अन्तर जो है उसको हम इसी तरह से दूर कर सकते हैं अगर हम नागरी लिपि को बढ़ावा दें। अगर हम लोगों को नागरी लिपि सिखायेंगे तो उनको किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। नागरी लिपि द्वारा हम सन्देशों को टेलीप्रिन्टर द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ भेज सकते हैं। अगर हमने इस चीज को अख्तियार किया तो हम ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं।

बहुत से लोगों का यह कहना है कि अंगूजी, में अक्षर कम होने की वजह से छपाई में बहुत आसानी होती है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने इस

[श्री एम० सत्यनारायण]

विषय के बारे में जो सुझाव दिये हैं अगर उन पर अमल किया जाता है तो हिन्दी की छपाई पर ज्यादा कागज नहीं लगेगा। अगर हमने अपने मुद्रण यंत्र में बदलाव किया तो यह यकीन है कि हमारे हिन्दी की छपाई में २५ प्रतिशत की किफायत हो जायेगी। यह उसी स्तर में हो सकेगी जब कि हम अंग्रेजी शब्दों को रोमन अक्षरों में न छापेंगे। इस तरह से जो किफायत होगी वह हिन्दुस्तान के लिए बहुत फायदमन्द होगी। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। अंग्रेजी के जो हमारे अक्षर हैं, रोमन के जो अक्षर हैं, वे अक्षर २५ यंत्रों में आते हैं। अगर हम "फर्क" शब्द को रोमन लिपि में लिखेंगे तो हमें काफी अक्षर लिखने होंगे। लेकिन अगर इसी अक्षर को नागरी लिपि में लिखना होगा तो वह दो अक्षरों में आ जायेगा क्योंकि उसमें दो अक्षरों की ध्वनि आती है। उस हालत में किसी किसी के लिये दो या तीन या चार लिखने पड़ते हैं। जहां नागरी अक्षर लिखते हैं वहां पर अक्षर मिल जाते हैं जिसके लिये वह तीन का स्पेस ले लेता है और कभी कभी पांच का स्पेस ले लेता है इसलिये कागज और छपाई में मुख्य सवाल स्पेस का है। अंग्रेजी फल गई तो बहुत स्पेस हो गया, नहीं फल गई तो कम स्पेस हो गया। इसलिये जो लोगों की छापने में शक्ति बँकार जा रही है वह अधिकांश शक्ति हमारी बच सकती है। इसकी तरफ हमें ध्यान दे तो मेरा खयाल है कि गवर्नमेंट अपनी स्टेशनरी और छपाई में काफी बचत कर सकती है। जो खर्च इन पर गवर्नमेंट या और लोग करते हैं वह काफी कम हो सकता है, उसमें २५ या ३० फीसदी की किफायत हो सकती है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब २५ या ३० फीसदी की किफायत हो तो इससे हमारे देश को कितना फायदा हो सकता है।

बहुत से लोग कहते हैं कि अगर देश में नागरी लिपि हो जायेगी तो बहुत से लोग अपनी लिपि के मोह में नागरी लिपि के खिलाफ हो जायेंगे। मैंने इस क्षेत्र में काफी काम

किया है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसकी किसी तरह की भी मुखातिफ नहीं होगी। हाँ, केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय को या किसी भी मंत्रालय को—जो भी मंत्रालय इस काम को अपने हाथ में ले उसको—चाहिये कि वह लोगों को पहले से ही बताये कि नागरी लिपि में क्या क्या खूबियाँ हैं, उसमें क्या क्या यंत्र मिल सकते हैं और किस तरह से कितना काम हो सकता है। अगर ऐसा बतायेंगे तो बहुत से लोग इस काम को कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नागरी लिपि और प्रान्तीय लिपि साथ साथ कैसे चल सकती है। आप स्वयं जानते हैं कि रोमन अक्षर को लिखने के लिये हर आदमी को चार तरह के अक्षर सीखने पड़ते हैं। चार तरह के अक्षर सीखने के बाद अर्थात् १०४ अक्षर सीखने के बाद भी जब तक वह भाषा को नहीं जानता तब तक नहीं लिख सकता। कारण यह है कि जब हम रोमन लिपि को सीखते हैं और पढ़ते हैं तो दसते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, सुनते कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं, मुँह से बोलते कुछ और हैं और लिखा कुछ और जाता है, जो बोलते हैं वह हाथ से लिखते नहीं। इतना सब कुछ होते हुये भी हमारे देश ने रोमन लिपि को अपनाया और बड़े जोर से अपनाया। जब लोग देखेंगे कि नागरी लिपि में जो बोलेंगे वही हाथ से लिखेंगे, जो आँख से देखेंगे वही पढ़ेंगे, उस वक्त लोग आपको अपनाने में नहीं हिचकिचायेंगे। इस लिये यह बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में नागरी लिपि को बढ़ाने के लिये काम किया जाय। जिन जिन लोगों को अपनी लिपि से मोह हो वे अपने लिये अपनी लिपि रख लें और पढ़ने के लिये नागरी लिपि रख लें तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। हमारे देश में दो लिपियाँ होने से कोई नुकसान नहीं है। अंग्रेजी में भी हम दो लिपियों से काम लेते हैं और बिना किसी तकलीफ के काम करते हैं। तो कुछ दिन तक ऐसा चल सकता है कि जिनको अपनी अपनी लिपि में लिखने की आदत है वह लिखते चले जायें और



जब पढ़ना हो तो नागरी लिपि में पढ़ें। इस में कोई तकलीफ नहीं होगी। आज भी नागरी लिपि में लिखने की लिपि में और पढ़ने की लिपि में काफी फर्क है, इतना होते हुये भी लोग पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे हमारा दश में यह कौफियत हो जायेगी कि दो लिपियों के होते हुये भी एक लिपि कर सकेंगे। इन सभी बातों के लिये यह बहुत जरूरी है कि लेखनयंत्र के लिये ही नहीं, मुद्रण यंत्र के लिये ही नहीं बल्कि सारी नागरी लिपि के लिये हमारा दश में काफी खोज हो ताकि हम अपने दश में एक लिपि का प्रचार कर सकें। अगर हम एक लिपि का प्रचार करते हैं तो उससे जो फायदा होगा वह मैंने निवेदन किया। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यह काम आज बहुत ज़ोरों के साथ होना चाहिये और कहीं न कहीं से इसकी शुरुआत अवश्य होनी ही चाहिये। पहले पहले इसकी शुरुआत होनी चाहिये कि लिपि को कितना कम किया जाय और इसको लेखनयंत्र के लिये और मुद्रण यंत्र के लिये कितना छोटा बनाया जाय ताकि लाइनो टाइप बन सके और टाइपराइटर तथा टेलीप्रिंटर भी बन सकें और साथ ही साथ काफी काम हो सके।

एक बका कालेलकर कमेटी नियुक्त हुई, फिर नरेंद्र दैव कमेटी हुई उसके बाद एक यू० पी० की कांफ्रेंस हुई और उसमें काफी चर्चा हुई और उसके कुछ निष्कर्ष निकले हैं और बहुत अच्छे निष्कर्ष निकले हैं। इस वक्त लिपि का जो सवाल है उसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। जो फालतू अक्षर हैं उनको हटा देने के लिये कहा गया है। कल शिक्षा मंत्रालय के संसदीय सचिव ने कहा था कि यू० पी० में जो कांफ्रेंस हुई थी उस कांफ्रेंस के जो फैसले हुये हैं उन फैसलों को सरकार मानने वाली है और उसके मुताबिक चलने वाली है। इसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि यद्यपि यह बात हुई थी कि नागरी के किस तरह के अक्षर रखे जायें और किनको निकाला जाय, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हुआ कि जिस टाइपराइटर में सब मिला कर कुल

६२ अक्षर आ सकते हैं, उससे बढ़ नहीं सकते हैं, उसमें कौन कौन से अक्षर आ सकते हैं और कौन कौन से अक्षर नहीं आ सकते हैं। इसके बारे में यू० पी० कांफ्रेंस कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि यू० पी० कांफ्रेंस का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वह यह देखे कि हिन्दी में किस किस अक्षर के लिये क्या क्या स्वरूप हो, उसमें से किसको निकाल दिया जाय और किसको रखा जाय। इतना ही उद्देश्य था कि कौन सा आधा होगा और कौन सा नहीं होगा और उसने इन पर विचार किया और निश्चय किया कि अमुक अमुक अक्षर को रखा जाय। वह रिपोर्ट मंरे पास है और वह बहुत अच्छी रिपोर्ट है। जो उसमें निश्चय किये गये हैं उनसे सब से तो मैं सहमत नहीं हो सकता लेकिन फिर भी रिपोर्ट अच्छी है। जब हमारा दश में यह अपना विधान बन रहा था तो इसकी बड़ी चर्चा थी कि हमारा दश के अंक किस तरह के होने चाहिये। हमने यह निश्चय किया था कि भारतीय अंक के जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप हैं उनको रखा जाना चाहिये। अब मैं देख रहा हूं कि प्रायः सभी प्रान्तों में यह चीज फैलती जा रही है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि जब हमारा हिन्दी के लेखनयंत्र बनें तो उसमें दोनों के लिये गुंजाइश हो और कम से कम हमारा सौवधान में जिन अंको को मान्यता दी गई है उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। तो जहां तक टाइपराइटरों का सम्बन्ध है उसको लिये यू० पी० कांफ्रेंस की रिपोर्ट से हमें इतना ही मिल सकता है कि क्या लें और क्या न लें। अगर भारत सरकार यह मान ले कि यू० पी० कांफ्रेंस के जो फैसले हैं उनको मानने के लिये वह तैयार है तो जहां तक अक्षरों का सम्बन्ध है वह बिल्कुल ठीक है लेकिन उसके बाद असली काम यह है कि इस टाइपराइटर का स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या हो। इस पर विचार करने के लिये ही यह प्रस्ताव यहां रखा गया है।

इससे पहले जो कालेलकर कमेटी हुई थी उसका एक सदस्य होने का मुझे भी सम्मान

[श्री एम० सत्यनारायण]

प्राप्त हुआ था। उसकी रिपोर्ट हुई। अगर उस रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज है जो कि सरकार मान नहीं सकती है तो फिर उसे जंचवाना चाहिये। जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि हमारे सारे टाइपराइटर्स में सिर्फ ६२ अक्षर आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं तो फिर इसके लिये बहुत से लोगों से यह जानना होगा कि जितने अक्षर हैं उनको शेना है तो उसके लिये क्या किया जाय। जैसे हमारे देश के एक सज्जन ने एक नई खोज निकाली है कि नागरी अक्षरों में २२ अक्षर ऐसे हैं कि जिनके बगल में पाई खड़ी रहती है और उन्होंने यह चीज ईजाद की कि उस वर्टिकल लाइन को हटा लिया जाय और उसके लिये एक अलग टाइप बनाया जाय जिससे कि इन ६२ स्थानों के अलावा २२ स्थान और निकल आयें और उसमें कम से कम ११४ अक्षरों के लिये स्थान हो सके। अगर हम उसको काम में लेते हैं तो जो लेखनयंत्रों में अक्षरों की ज्यादाती है और कीबोर्ड में बटनों की कमी है, या और जो इस तरह की दिक्कतें आती हैं वे हल हो सकती हैं।

इसके ऊपर मैं ज्यादा जोर दे कर इसलिये भी बोल रहा हूँ क्योंकि इस कार्य के लिये छः साल हो चुके हैं और छः साल का अर्सा बहुत बड़ा अर्सा होता है। इन छः सालों में गवर्नमेंट करोड़ों रुपया बचा सकती थी और लाखों आदीमियों को शिक्षा दी जा सकती थी। अब तक बहुत सारी दिक्कतें दूर हो सकती थीं लेकिन छः साल तक इस बारे में कुछ भी काम नहीं किया गया। मैं यह मानता हूँ कि यह ठीक नहीं हुआ और जिन लोगों ने काम किया उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ। अब तो इसमें जरा भी देर नहीं होनी चाहिये। गवर्नमेंट एक ही बात से डरती है कि रुपये का क्या कर, कहीं रुपये का नुकसान न हो। मेरा तो इतना ही कहना है कि जो रुपया बचाया जा सकता था वह तो कम से कम हम बचा लेते, जो रुपया कमाया जा सकता था वह खो गया तो खो गया लेकिन जो रुपया

बचाया जा सकता है उसको तो न खोयें। इस लिये राष्ट्रीय दृष्टि से यह एक बड़ा महत्व का काम है और इस काम के बारे में जरा भी देर नहीं होनी चाहिये। साक्षरता या शासन कार्य या और दूसरी दृष्टि से यह बहुत जरूरी काम है और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्रालय इस बात पर जोर दे, इस बात पर ध्यान दे और इस प्रस्ताव को मंजूर कर ताकि देश के सामने शीघ्र ही एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड आ सके। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ।

SHRI KISHEN CHAND (Hyderabad): Mr. Deputy Chairman, the hon. Member who has preceded me has very lucidly explained that it is possible to prepare a type-writer which will be more economical than even the English typewriter. I beg to submit that in the Constitution we have accepted that Devanagari will be adopted for the Hindi language. The whole question is that in the Devanagari script the number of compound consonants is very, very large and the hon. Member who preceded me and the mover pointed out that Committees were appointed to simplify it. The President of one of the Committees was Kakasaheb Kalelkar and the Presidents of other Committees were different people and there was fundamental difference between the opinion of Kakasaheb Kalelkar and others about the way of writing these consonants especially the diphthongs. The whole difficulty is that if you change all your consonants away from the present shape, then it will remain no longer a Devanagari script. It will become a different script.

SHRI M. SATYANARAYANA: There is a compromise on that question.

SHRI KISHEN CHAND: I am coming to that. We will have to evolve a script which is similar to the present script and yet overcome the difficulties of these compound consonants and the difficulties about the vowels. When the vowels are added to consonants they take a different shape and in the Hindi typewriter you have got to go

back to the original position later for putting a dot, either above or below, or for putting a dash either above or below. These are some of the fundamental difficulties which are really hampering the progress of evolving a uniform key-board for the typewriter. I welcome this Resolution which draws the attention of the Government to evolving a uniform key-board but it does not mean that we are minimising the difficulties. As was very pointedly stressed by the speaker who preceded me, the phonetic script is a decided advantage but there are certain sounds prevalent in our country which are not found in the Devanagari script. They are the common sounds of क़, ड़ and so on. I can give you at least 10 such sounds.

SHRI H. P. SAKSENA (Uttar Pradesh): They are all there in the Devanagari.

SHRI KISHEN CHAND: They have been introduced in the Devanagari script by the addition of a dot below and that is the bone of contention. There is a great deal of discussion on that point and there are a lot of difficulties which arise on account of having to put that dot on the typewriter.

डा० रघुवीर (मध्य प्रदेश) : आप क्या चाहते हैं ?

SHRI KISHEN CHAND: I will tell you. Therefore what I am going to suggest is that first of all a Devanagari script should be evolved which will not require the use of these double consonants and that can be done very easily. We should appoint a Committee and that Committee should consist of people with practical trend of mind and not fad-dists who have often whims of their own. I am confident that a script can be evolved which is very similar to the shape of the Devanagari script and yet will overcome these difficulties. Dr. Raghu Vira asked me what I wanted. I want a Devanagari script but I want a Devanagari script with-

out all these difficulties that are inherent in it now. I do not want my children and the young generation to be burdened with over a hundred compound consonants with all their varying shapes and their difficulties. It is all very easy to say that there are 26 alphabets in the Roman script and with the capitals and with different ways of writing, this number comes to 78, because there are ordinary writing letters, then printing letters, small letters, capital letters, and so on. But there is a basic similarity in the shape which is not found in the Devanagari script. So my first suggestion is that we do away with the compound consonants by having a halant in the consonant which is to be joined to the next consonant. That will mean that there will be a line below the consonant showing that it has not got a vowel added on to it. Only if we can evolve a script having at the most 30 to 35 alphabets for all the vowels and consonants in all their various shapes, we can succeed in having a proper typewriter. It is all right for the people who have learnt those things to say that there is no difficulty in the Devanagari script but ask any young boy who is learning the Devanagari script as to what difficulty he is feeling by having to learn so many compound consonants and to pronounce them. Therefore it is not possible to evolve a standard key-board or a good typewriter until and unless we have evolved a proper Devanagari script which is similar to the script at present used and yet has not got the difficulties that are there now.

SHRI M. SATYANARAYANA: If you look into that Report.....

SHRI KISHEN CHAND: I have read that Report and I find that the new type of diphthongs introduced by Kakasaheb Kalelkar was not accepted. There was a different shape suggested for short इ ; similarly for उ and ऊ . Again, for ए they have suggested a different shape. Normally it is written as a combination of र and व and it is possible to

[Shri Kishen Chand.]

make a mistake and read as र, व.  
Now, they have changed the shape.

SHRI H. P. SAKSENA: The top line  
is kept separate for. र and व.

SHRI KISHEN CHAND: The top  
line is of no importance. That is not  
the basic line. Simply because it is  
joined or not joined, it will not show  
the distinction. Similar is the case  
with भ and म. There are all  
sorts of confusions. I can go on mul-  
tiplying examples to show that this is  
not a simple matter. So until we have  
solved that problem, it is not right to  
hurry up things. First of all, a Com-  
mittee should be appointed to go  
into this question of evolving a proper  
Devanagari script, then only it will  
be possible to think of the typewriter.

In the English typewriter by press-  
ing one key you can get all the small  
letters changed to capital letters  
whereas in the Hindi typewriter you  
have to keep on continuously pressing  
a key to go back to the original posi-  
tion or use stop key. Then there is  
going to be a key for making half-  
shift when you want to add vowels to  
consonants. So there are all sorts of  
difficulties. In the key-board of an  
English typewriter there are 26  
alphabets, then there are numerals,  
commas, fullstops, etc. Actually you  
have to concentrate only on 26 keys;  
the remaining are required for  
numerals and other things. Similarly  
you have to evolve a Hindi type-  
writer with not more than 26 or at  
the most 30 alphabets. I do submit  
that this Resolution is very important  
but an addition should be made to  
this Resolution that side by side with  
the evolution of a standard type-  
writer, there should be a Committee  
appointed which should reach agree-  
ment on a proper Devanagari script  
providing for all the sounds that are  
commonly pronounced in our country.  
Subject to this addition, I support the  
Resolution.

श्रीमती चन्द्रवती लखनपाल (उत्तर प्रदेश):  
उपसभापति महोदय, इस प्रश्न पर जो इस  
वक्त विचाराधीन हैं, बड़ बड़ विशेषज्ञों ने  
अपनी सम्मति प्रकट की हैं। श्री सत्यनारायण  
जी ने, जिनके भाषण से ही लगता है कि  
उन्होंने इस विषय पर काफी गहरा अध्ययन  
किया है, विस्तार के साथ उसके अंदर के  
रहस्यों को खोलकर सामने रख दिया है। मुझे  
भी इस सम्बन्ध में आज नयी बातें पता लगी  
हैं। लेकिन मैं सार प्रश्न की बहुत  
ज्यादा टर्कीनकल बारीकियों में न जाकर केवल  
एक लेमैन, एक साधारण व्यक्ति जिस प्रकार  
सार प्रश्न को देख सकता है उसकी तरह इस  
प्रश्न को लुंगी और टाइपराइटर्स की जो  
वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए और  
जनसाधारण के ऊपर उसकी क्या प्रतिक्रिया  
उत्पन्न होती है उसकी दृष्टि से इस प्रश्न पर  
विचार करेंगी।

श्रीमन्, आज का प्रश्न इतना गहरा और  
इतना आवश्यक प्रश्न है कि मैं इस पर  
अधिक विशेष ज्ञान न रखते हुए और इस पर  
ज्यादा गहराई से विचार न कर सकते हुए भी  
आज तीव्रता से अनुभव करती हूँ कि मुझे अपने  
कुछ विचारों को आपके सम्मुख रखना ही  
चाहिए। जैसा कि अभी कहा गया है, आज  
अपने देश की राष्ट्र भाषा हिंदी घोषित हो जाने  
के बाद यह प्रश्न और भी ज्यादा आवश्यक  
रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाता है।  
श्रीमन्, हिंदी के राष्ट्र भाषा घोषित हो जाने के  
मानी यह है कि अब सार देश का कारोबार  
हिंदी में होने लगेगा। इसके मानी यह है कि  
केंद्रीय सरकार का जितना भी काम दफ्तर के  
अंदर, सेक्रेटरीएट वर्गों के अंदर होगा, वह  
आगे से हिंदी में ही होगा। कुछ सालों के  
बाद यह स्थिति होगी कि राज्य सरकारों और  
केंद्रीय सरकार के बीच जो दफ्तर का काम होगा  
या लिखापढ़ी होगी वह भी सब हिंदी भाषा में  
हुआ करेगी। श्रीमन्, अहिंदी भाषाभाषी  
प्रान्तों की बात छोड़ दीजिए, अपने देश के  
अंदर जो हिन्दी भाषाभाषी प्रान्त हैं उनकी ही  
संख्या एक दर्जन से कम नहीं होगी। तो उन

प्रान्तां के अंदर जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य भारत, राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश, आदि राज्य हैं उन्होंने अपनी यह नीति घोषित कर दी है कि दफ्तरों में, अदालतों में, स्कूलों में, कालेजों में, विधान सभाओं में जो कार्यवाही होगी वह सब हिन्दी में हुआ करेगी और इस दिशा में हमारा अनुभव होना शुरू हो गया है। तो ऐसी हालत में आज दफ्तरों के अंदर जो कार्य अंगरेजी टाइपराइटर कर रहा है वह जिम्मेदारी और बोझा हिंदी टाइपराइटर के ऊपर आ जाता है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में हिंदी टाइपराइटर को एक बड़ा भारी रोल, बड़ी भारी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी और इस कारण आज का जो प्रस्ताव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण दिखायी दे रहा है। मैं तो यह समझती थी कि आज के प्रस्ताव के द्वारा इस प्रश्न की ओर पहली बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन जो भाषण यहां पर हुए हैं, मूवर महोदय का जो भाषण हुआ है उससे यह पता लग्य कि यह प्रश्न अब से ६, ७ साल पहले से खुला हुआ है और इस पर एक कमेटी नहीं दसों कमेटीयां बैठ चुकी हैं। लेकिन हम सात साल के बाद भी जहां के तहां खड़े हुए हैं। श्रीमन्, यह देखकर और भी आश्चर्य होता है कि हमारे देश के अंदर श्री काका साहब कालेलकर, आचार्य नरेंद्र दत्त, श्री सत्यनारायण जैसे विशेष्ज्ञों के होते हुए जो कि प्रश्न की तह तक पहुंच चुके हैं, उसकी हर एक बारीकियों में पहुंच चुके हैं, हम इस प्रश्न को हल नहीं कर सके। इससे ज्यादा खेदजनक बात क्या हो सकती है ?

श्रीमन्, आज हम दावा करते हैं कि दूसरे देशों की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने के जो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रश्न हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं और उनको हल कर भी रहे हैं। लेकिन अपने यहां की एक छोटी सी समस्या है, टाइपराइटर के निर्माण की, उस को हम सात, आठ सालों से हल नहीं कर पाये हैं, यह विवाद का विषय बना हुआ है और

इस पर अभी विचार ही हो रहा है। आज तक हम अपनी इस छोटी सी समस्या को हल नहीं कर सके, इससे ज्यादा आश्चर्य की और हैरानी की और क्या बात हो सकती है। इस का केवल एक ही कारण हो सकता है और वह यह कि हम इस प्रश्न की गम्भीरता को, इसकी जो व्यापकता है, इसका जो प्रभाव सारे देश के ऊपर, सारे राष्ट्र के ऊपर पड़ने वाला है और पड़ रहा है, उसको हम नहीं समझ रहे हैं। यदि हम समझते होते तो हमारी यह उपेक्षा और उदासीनता इतनी हद तक नहीं होती और हमारे देश के अंदर हिंदी टाइपराइटरों की जो शांक्षणीय अवस्था है, जो उसकी अविकसित अवस्था है वह नहीं होती। आज हिन्दी टाइपराइटर इतनी दयनीय अवस्था में है कि जितनी कंपनियां हैं उतने ही कीबोर्ड हैं। हर एक कंपनी का अपना अलग अलग कीबोर्ड है और इससे इतना कनफ्यूजन, इतनी अव्यवस्था, हमारे सारे काम में उपस्थित हो गयी है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रीमन्, जो भी व्यक्ति एक टाइपराइटर पर टाइप करना सीखता है वह दूसरे टाइपराइटर पर टाइप नहीं कर सकता। उस का नतीजा यह होता है कि आज कोई भी हिन्दी का टाइप सीखने के लिए तैयार नहीं होता। श्रीमन्, मुझे अपने एक ऐसे परिचित नवयुवक की कहानी याद आ रही है जिसको अलग अलग कीबोर्ड होने के कारण ही अपनी जिन्दगी में परेशानी का सामना करना पड़ा और अन्त में अपनी आजीविका से ही हाथ धोना पड़ा। इस युवक ने रीमिंगटन टाइपराइटर पर टाइप करना सीखा और जब वह नौकरी की तलाश में दफ्तर में गया तो वहां पर उसकी परीक्षा दूसरे टाइपराइटर पर ली गई जिसका कीबोर्ड रीमिंगटन टाइपराइटर से भिन्न था। इसका परिणाम यह हुआ कि परीक्षा में इनकी स्पीड कम निकली। उन्होंने कहा था कि मेरी स्पीड ५० की है, लेकिन वह मुशकिल से २० निकली और उसके परिणामस्वरूप इनकी जो नियुक्ति थी वह कैंसिल कर दी गई। आप देख सकते हैं कि ऐसी हालत में जब कि हमारे हिंदी कीबोर्ड

[श्रीमती चन्द्रवती लखनपाल]

जो कि टाइपराइटर की बेसिक चीज है वह इतनी ज्यादा कनफ्यूजन की हालत में है, इतनी अविकसित है तां फिर हम कैसे यह आशा कर सकते हैं कि हमारे देश के अंदर कोई भी नवयुवक इस हिंदी टाइपराइटर को सीखना पसंद करेगा ? इसका परिणाम आज यह होता है कि मेरे जैसे व्यक्ति जिन्होंने आजीवन हिन्दी को सेवा की है और हिन्दी में ही सब काम करना चाहते हैं, जब हम किसी लेख वर्गों की या किसी रिपोर्ट की कुछ प्रतियां कराना चाहते हैं तो हमें मजबूरन अपनी इच्छा के विरुद्ध अंगरेजी में उसकी प्रतियां करानी पड़ती हैं क्योंकि आसानी से हिंदी टाइपिस्ट हमें नहीं प्राप्त होते। श्रीमन्, इस अवस्था में तां प्रस्तावक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है कि जल्दी से जल्दी सरकार को एक ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे देश के अंदर हिंदी टाइपराइटरों के कीबोर्ड को स्टैंडर्डाइज किया जाय उसको मैं बहुत ज्यादा महत्व देती हूं और उसके लिए मैं यह सुभाव पेश करती हूं कि अभी तक जो एक्सपर्ट कमेटीज नियुक्त की गई हैं यदि वे इसमें कामयाब नहीं होतीं तां एक और एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त की जाय जो इस सारे प्रश्न को फिर से वर्तमान परिस्थितियों के प्रकाश में रखकर उस पर विचार करे।

हिंदी टाइपिस्टों के लिये सबसे बड़ी परेशानी का प्रश्न "स्पीड" का है। अक्सर यह देखा जाता है कि हिन्दी टाइपिस्टों की स्पीड ५० से ज्यादा नहीं होती जब कि अंगरेजी टाइपिस्टों की स्पीड ५० और १०० के अंदर तक हो जाती है। इसलिए ज्यादातर लोग जो जल्दी काम कराना चाहते हैं वे अंगरेजी में कराते हैं। यह भी एक प्रश्न है जो कि विशेषज्ञ समिति को अपने विचार में रखना चाहिए कि किस प्रकार से एक ऐसे टाइपराइटर का निर्माण हो जिससे कि उतनी ही तेजी, उतनी ही स्पीड को हमारे हिंदी टाइपिस्ट ला सकें जो कि अंगरेजी के टाइपराइटर पर आती है।

श्रीमन्, आज हम देखते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड है उसके तरह तरह के मॉडल चल रहे हैं, कोई नया है, कोई पुराना है और इन मॉडलों में बड़ा भेद है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि--जैसा मेरे पूर्ववक्ता ने बताया-- कि हमारा जो स्क्रिप्ट है उस के बारे में हम कभी एकमत नहीं हो सके। लेकिन मैं समझती हूं कि स्क्रिप्ट की बारीकियों में न जा कर समझाते के रूप में एक ऐसा स्क्रिप्ट तैयार किया जा सकता है और माना जा सकता है जिसको कि हम अभी वर्तमान समय के लिए स्वीकार कर लें, और बाद में जो कठिनाइयां हमारे सामने आयें उन्हें हल करते जायें, जैसे कि, मैं समझती हूं, संयुक्त अक्षर हैं, मात्राएं हैं जिनके सम्बन्ध में बड़ी कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। आज जो मॉडल हमारे सामने चल रहे हैं, जो नये मॉडल हैं, उन्होंने बहुत हद तक सुधार भी किया है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा सुधार की गुंजायश है और पूरी तरह से सुधार होना तब तक असम्भव है जब तक कि किसी विशेषज्ञ समिति के द्वारा जो कि सरकार नियुक्त करे, यह प्रश्न न लिया जाय। इसलिए मेरा कहना है कि शीघ्रातिशीघ्र इस प्रकार की एक समिति का निर्माण होना चाहिए। श्रीमन्, यह प्रश्न इतना आवश्यक है कि इसके बिना हमारी सारी प्रगति रुक जायगी। लेकिन हम यह देखते हैं कि इस प्रश्न की तरफ उतना ज्यादा ध्यान और तवज्जो नहीं दी जा रही है जो कि देनी चाहिए। यह एक छोटी सी बात है और एक बिलकुल सीधी सी बात है कि जब एक दफ्तर का काम हम टाइपराइटर के बिना नहीं चला सकते, तां देश का इतना बड़ा कारोबार जो कि सारे का सारा हिंदी टाइपराइटर के ऊपर आश्रित रहेगा, वह किस प्रकार से किया जा सकता है जब तक कि हम इस समस्या को हल नहीं करेंगे। जितने भी भाषण हुए हैं उनसे ज्ञात होता है कि इस समस्या को हल न कर पाने का मुख्य कारण यह है कि हम इस मामले

में बड़ी उदासीन रहे हैं। मैं तो यह कहूंगी कि हमारा सारा रुख, हमारा सारा ध्यान हिन्दी के प्रति बड़ी लापरवाही का रहा है और हमारी सरकार, खास तौर पर केन्द्रीय सरकार, जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, वह इस ओर से अत्यन्त उदासीन और बेसुध है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि हिन्दी की उन्नति तो करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं, बड़ी बड़ी रूपरेखाएं, बड़ी बड़ी स्कीमों हिन्दी को आगे बढ़ाने की हम निकालते हैं, लेकिन ये सब केवल कागज पर ही रहती हैं। जहां तक अमल में लाने का, क्रियान्वित करने का सम्बन्ध है, श्रीमन्, उसका रिकार्ड अत्यन्त निराशाजनक है।

हिन्दी की उन्नति के सम्बन्ध में मैं आपसे क्या निवेदन करूं। जब बजट बनाया जाता है तो उसके लिए दो लाख से अधिक रुपया कमी निकलता ही नहीं है। इस सम्बन्ध में जब कोई आवाज हिन्दी प्रान्त के लोग उठाते हैं तो उनको यह कह कर चुप कर दिया जाता है कि आपकी दृष्टि बड़ी संकुचित है, आप बहुत ज्यादा तंगिदल हैं और जब दूसरे प्रान्त के लोग जाँ अहिन्दी भाषी हैं जब वे कहते हैं कि हमारे प्रान्त में हिन्दी के लिए उतना काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए तो मुझे याद है कि पिछले साल बजट पर स्पीच दते हुए श्री वेंकट रमन जी ने जब यह कहा था कि उनके प्रान्त मद्रास के अंदर हिन्दी की उन्नति के लिए जो कुछ होना चाहिए उतना नहीं किया जा रहा है और इसके लिए उन्होंने कहा था कि ज्यादा रुपया रखना चाहिए, तो उनकी बात पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। हिन्दी से सम्बन्धित जितनी भी समस्याएँ हैं उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। आज तक हम हिन्दी के टेलीप्रिन्टर का निर्माण नहीं कर सके। दुनिया के अंदर बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम बन रहे हैं, अपने यहां देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फिजिकल लेबोरेटरी आदि की स्थापना हो रही है, लेकिन हिन्दी का

टेलीप्रिन्टर जो बहुत छोटी चीज है, उसका निर्माण अभी तक हम नहीं कर पाये जब कि हम देख रहे हैं कि हिन्दी पत्रकारिता की सारी उन्नति हिन्दी टेलीप्रिन्टरों पर ही आश्रित है।

4 P.M.

ठीक उसी प्रकार आज हिन्दी टाइपराइटर का प्रश्न है। यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता कि इस प्रश्न पर अभी तक कोई विचार ही नहीं हो रहा है। पिछले पांच छः सालों से देश के अन्दर इस प्रश्न की चर्चा की जा रही है और समय समय पर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा रहा है किन्तु हम अपनी लापरवाही के कारण उदासीनता के कारण एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। हमारी जो कुछ भी नीति हिन्दी के सम्बन्ध में है वह घोषणा के रूप में नहीं, अमल के रूप में आनी चाहिये। यदि हम चाहते हैं, हम अपने आदर्शों को जो कि हम हिन्दी के सम्बन्ध में रखते हैं, यदि हम चाहते हैं कि कुछ साल के अन्दर इस देश का बच्चा बच्चा हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर ले तो हमें देशवासियों के लिए हिन्दी को सरल, सूक्ष्म और ग्राह्य बनाना होगा। इस काम को करने में हिन्दी टाइपराइटरों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस प्रस्ताव को उस तरह से न ठुकरा दिया जायेगा जिस प्रकार से यहां पर अक्सर प्राइवेट रज्यूलेशन के साथ केवल सहानुभूति प्रगट करके ही उन्हें खत्म कर दिया जाता है। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि इस प्रस्ताव को सरकार उदासीनता की भावना से नहीं देखेगी और इसको कार्यान्वित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठायेगी। अगर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो इसके साथ ही साथ हिन्दी की भी उन्नति होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का फिर हृदय से समर्थन करती हूँ।

डा० रघुवीर : उपसभापति महोदय, हिन्दी typewriter के keyboard का प्रश्न आज हमारे सामने है, इस सम्बन्ध में लिपि का भी सुधार हो, यह विचार बहुत

• [डा० रघुवीर]

दिनों से चल रहा है। देवनागरी लिपि संविधान में स्वीकार की गई। क्या वह अज्ञात वस्तु है जिसको लोग नहीं जानते? क्या वह वस्तु अविकसित है जिसका विकास नहीं हुआ, जिसका आज तक प्रयोग नहीं हुआ। इसके सम्बन्ध में यह इतना आडंबर क्यों रचा गया। जब रोमन लिपि कहते हैं तो उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठता कि उसमें X की आवश्यकता नहीं है। K और S से काम चल सकता है, C की आवश्यकता नहीं S और K से काम चल सकता है, Q की आवश्यकता नहीं, K से काम चल सकता है। जिस समय आप कहते हैं कि रोमन लिपि हमने स्वीकार की, तो जो रोमन लिपि चली आई उसी को स्वीकार किया। जिस समय यह निश्चय हुआ कि देवनागरी लिपि होगी तो उसे हमने स्वीकार किया आज हम यह चाहते हैं कि देवनागरी लिपि अपने बच्चों को दो चार दिन में ही सिखा सकें। नाना प्रकार के परिवर्तन सुभायें गये। काका साहब कालेलकर जी का नाम इस सम्बन्ध में बहुत बार आया है। इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से आपका विचार है कि अ, आ, इ, ई, उ, ऊ इत्यादि स्वरों को केवल अ में मात्राएं लगाकर प्रकट किया जाय। कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है कि प्रकट किया जाए। यदि आवश्यकता हो तो मैं बड़ी प्रसन्नता से बतलाऊंगा कि यह पद्धति कई स्थानों पर प्रयोग की गई है, जैसे कि तिब्बत में। तिब्बत की लिपि में “अ” अक्षर के ऊपर मात्राएं लगाकर अ, आ, इ, ई १६ खड़ी निर्माण की गई हैं, वहां १२ खड़ी नहीं हैं।

इसी प्रकार अन्य सज्जनों ने अभी यहां अपना मत प्रकट किया कि संयुक्त वर्णों को उड़ा दो इस समस्या को समझने के लिए ऐतिहासिक विकास को जानना आवश्यक होगा। यदि हम देवनागरी लिपि के विकास पर दृष्टिपात करें तो बहुत सी बातें स्पष्ट हो जायेंगी जो वैसे स्पष्ट नहीं होती। केवल देवनागरी लिपि को न देखिये। देवनागरी लिपि अकेले

नहीं खड़ी है। देवनागरी लिपि एक विशेष पद्धति का अनुसरण कर रही है और उस पद्धति का अनुसरण करने वाली भारतवर्ष की सभी लिपियां हैं। उत्तर भारतवर्ष की लिपियों में बंगला, उड़िया गुजराती आदि दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ का उद्गम हुआ। हम और भी आगे जा सकते हैं, हम तिब्बत में जा सकते हैं, बर्मा में जा सकते हैं, लंका में जा सकते हैं, हम कम्बोज (स्याम) में जा सकते हैं, हम जावा, बाली में जा सकते हैं, और भी दूर हम कोरिया में जा सकते हैं, मंचूरिया में जा सकते हैं, हम सारं एशिया में जा सकते हैं। हम यह पायेंगे कि यहां अनेक लिपियों की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि रही है। इन सब लिपियों की यह विशेषता है कि उसमें लिखने में कम समय लगे, economy of time हो, समय की बचत हो, परन्तु साथ ही शुद्ध लिखा जाय। हमारी लिपि में दो प्रकार की विशेषताएं हैं। एक तो यह है यदि मैं उसके लिये अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करूं—कि वह alphabetic ही नहीं किन्तु, syllabic भी है। मैं अपने नाम का ही उदाहरण लूं तो अंग्रेजी में यह दोष है कि मेरे नाम के लिये ६ अक्षर लिखने पड़ेंगे और जब उसको हिन्दी में लिखते हैं तो केवल ४ अक्षर बनते हैं। यह economy of space and time है।

श्री किशन चन्द : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जैसे आपने कहा कि “रघुवीर” है, तो इसमें “वी” “व” और “ई” मिलकर हुआ। उसी तरह से अंग्रेजी में उसकी जगह “v” और “i” है।

डा० रघुवीर : मैं यद्यपि अपनी सारी आयु अध्यापक रहा हूं किन्तु, अध्यापक होते हुये भी यह जानता हूं कि इस बात को १५ मिनट में या आधे घंटे में समझना सरल नहीं है। यह बड़ा महत्व का विषय है और मैं चाहता हूं कि जिन सज्जनों को इसमें रुचि है वे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करें। यदि हम



‘महाभारत’ शब्द को लेते हैं तो उसको हिन्दी में पांच अक्षरों द्वारा, पांच चिन्ह द्वारा लिख दते हैं मात्राओं की सहायता से। यदि हम अंग्रेजी में ‘Mahabharata’ लिखते हैं तो उसके लिये ११ चिन्ह लगते हैं। इस प्रकार में मित्र किशनचन्द का जो कहना है कि हम संयुक्त व्यंजनों को निकाल दें, मात्रायेँ जो लगाते हैं उनको निकाल दें और जो अंग्रेजी की पद्धति है कि वर्णमाला का प्रत्येक वर्ण अलग अलग लिखा जाय, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो, तो उसका परिणाम यह होगा कि जब ‘महाभारत’ लिखेंगे तो पहले ‘म’ लिखेंगे, फिर ‘अ’ लिखेंगे, फिर ह, फिर पूरा ‘आ’ लिखेंगे और फिर ‘भ’ लिखेंगे और इसी प्रकार आगे लिखेंगे। यदि आप इसको अंग्रेजी के लिये सुविधा मानते हैं और टाइपराइटर और टेलीप्रिन्टर की दृष्टि से सुविधा मानते हैं तो आप निश्चय कर लीजिये, उसमें कोई नई बात नहीं करनी पड़ेगी। हमारे पंजाब के मित्र और उत्तर भारत के मित्र संस्कृत में ‘अ’ का उच्चारण नहीं करते। ‘रघुवीर’ नहीं कहते, ‘रघुवीर’ कहते हैं। तो आप अंत में ‘अ’ न लगाइये। एक एक व्यंजन और एक एक स्वर के लिये सदा पूर्ण चिन्ह ही लगाया जाय।

एक बात और स्मरण रखिये कि जब मैं हिन्दी के typewriter और teleprinter की बात करता हूँ तो मेरे सामने केवल देवनागरी लिपि ही नहीं है मेरे सामने भारत की सभी लिपियाँ विद्यमान हैं। जो कीठनाई आज देवनागरी लिपि के लिये है वही कीठनाई या उसी से मिलती जुलती हुई कीठनाई भारतवर्ष की समस्त लिपियों में है। जिस प्रकार से ६२ key का typewriter हिन्दी के लिये पूरा नहीं पड़ता उसी प्रकार से ६२ key का typewriter अरबी और फारसी लिपि के लिये भी पूरा नहीं पड़ता, एबिसीनिया की लिपि के लिये भी पूरा नहीं पड़ता लंका की सिंहली लिपि के लिये भी पूरा नहीं पड़ता। मैंने लंका में जा कर इस

समस्या को देखा। जो हमारी कीठनाई है वही कीठनाई उनकी भी है। वे लोग भी वही कर रहे हैं जो कि हम यहां कर रहे हैं। वर्णमाला के जो अक्षर थोड़े प्रयोग में आते हैं उनको हमने typewriter में स्थान देना ही छोड़ दिया, जैसे ‘ह.’ और ‘ण’। हमारे typewriter में क, ख, ग, घ है किन्तु ‘ड.’ नहीं है क्योंकि इसकी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं यह पूछता हूँ कि जो typewriter हमारी लिपि को पूर्ण रूप से type न कर सके, जिसमें ‘अ’ से लेकर ‘ह’ तक सारे वर्ण न छप सकते हों, क्या वह देवनागरी लिपि का typewriter कहलाने के योग्य है? मेरे मित्र पूछेंगे कि ‘ह.’ और ‘ण’ की क्या आवश्यकता पड़ेगी। जिस प्रकार अंग्रेजी में दो तीन चिह्न लगाते हैं, धारा के लिये, 1, 2, 3 और उसकी उपधारा के लिये a, b, c, d, e, उसी प्रकार हिन्दी में क, ख, ग, घ और ‘ड.’ लिखेंगे। १, २, से भेद करने के लिये क, ख, ग, घ, ‘ड.’ लिखेंगे। किन्तु ‘ड.’ ताँ हमारे टाइपराइटर में नहीं है। क्या ‘ड.’ के स्थान पर ‘च’ लिखें। यह संभव नहीं होगा। इसी प्रकार की अनेक बातें हैं। यह प्रश्न पर्याप्त गहराई का प्रश्न है और मेरा अपना विचार यह है कि हम सब प्रकार की बातों का छोड़ कर इस बात का निश्चय करें कि देवनागरी लिपि का क्या स्वरूप हो। देवनागरी लिपि केवल हिन्दी के लिये ही प्रयोग नहीं की जाती। नेपाल में भी देवनागरी लिपि प्रयोग होती है, मराठी के लिये प्रयोग होती है। इससे बढ़ कर प्राकृत के लिये, अपभ्रंश के लिये और संस्कृत के लिये देवनागरी लिपि प्रयोग में आती है। संस्कृत के printing press संसार में फैले हुये हैं। इंग्लैंड में हैं, फ्रांस में हैं, जर्मनी में हैं, हालैंड में हैं, जापान में हैं और भारतवर्ष में हैं। एक मित्र ने मेरे से पूर्व बोलते हुए ठीक ही कहा था कि हिन्दी की लिपि न कह कर उसे देवनागरी लिपि कहें क्योंकि देवनागरी केवल एक भाषा की लिपि नहीं है, अनेक भाषाओं की लिपि है।

[हा० रघुवीर]

लखनऊ सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि ह्रस्व “इ” की मात्रा को पिछली ओर न लगा कर आगे की ओर लगाया जाए और उसे आधा काट दिया जाए। उस समय यह ध्यान नहीं किया गया कि इसका ऐतिहासिक विकास होते होते गुरुमुखी में, बंगला में भी ह्रस्व “इ” इसी प्रकार से आती है। इसी प्रकार “र” के साथ अत्याचार किया गया। मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि “र” की यह स्थिति केवल भारतवर्ष में ही नहीं है किन्तु वाली द्वीप में, कम्बोज में, स्याम में, बंगला में “र” की वही स्थिति है और अनेक अन्य लिपियों में भी “र” की वही स्थिति है जो अभी देवनागरी में है। देवनागरी लिपि बहुत सारी लिपियों की बहन है। वे सारे सम्बन्ध जो आज विद्यमान हैं क्या उनको हम एक साथ मिटा देंगे। नहीं। हमें इन सम्बन्धों को मिटाने की क्या आपत्ति पड़ रही है। देवनागरी लिपि में परिवर्तन करने का विचार क्यों आ रहा है? वह इसलिये आ रहा है कि हम अंग्रेजी का type writer प्रयोग करना चाहते हैं। यदि कोई जंगली जाति होती, अर्धसभ्य जाति होती, आविष्कार शब्द को न जानने वाली जाति होती तो मैं कह सकता था कि ठीक है। किन्तु, आज हम अपने आप को एक उन्नत देश कहते हैं। हमारी लिपि अंग्रेजी यंत्र के लिये नहीं बनाई गई है, यंत्र हमारी लिपि के लिये बनाया जाना चाहिए। यह जगत का सामान्य नियम है। यदि हम में थोड़ी सी भी आविष्कार की प्रवृत्ति होती तो बड़ी साधारण सी बात थी कि हम लिपि के अनुसार टाइपराइटर को बनाते। जापान में यही स्थिति उत्पन्न हुई। हमारे सामने तो ११० या ११५ key का सवाल है, यदि उतनी ही key मिल जाय तो हमारा काम चल जाता है, किन्तु जापान में तो तीन हजार अक्षर चाहियें, तो वहां एक नया typewriter बनाया गया। मैं ने जापानी एम्बेसी से वह टाइपराइटर लाने

का प्रयास किया किन्तु वहां काम अधिक होने के कारण से जापानी दूतावास उस typewriter को नहीं भेज सका। जापानी typewriter में तीन हजार अक्षर प्रयोग में आते हैं। इसी प्रकार चीनी भाषा के टाइपराइटर में तीन हजार अक्षर प्रयोग में आते हैं। तो यह कहना कि मनुष्य की सारी प्रतिभा अंग्रेजों ने १२ key का typewriter बना कर समाप्त कर दी है और इससे अधिक key वाला typewriter बन नहीं सकता, मूर्खता और आविष्कार के इतिहास को न जानने वाली बात है। हां, यह मैं अवश्य कहूंगा कि एक दिन मैं नहीं बन जायेंगा, इसमें दो, चार वर्ष लगेंगे तो उतने समय के लिये जो आज अपनी देवनागरी लिपि है उसी को अपने सब मतभेदों को छोड़ कर स्वीकार करें। उसी देवनागरी लिपि को स्वीकार करें, जिसमें कि संस्कृत की, प्राकृत की, अपभ्रंश की, नेपाली की, मराठी की, राजस्थानी की, हिन्दी की और अनेक भारतीय भाषाओं की सहस्रों पुस्तकें विद्यमान हैं। यदि आपने देवनागरी लिपि में कोई भी परिवर्तन किया तो उन विद्यार्थियों के लिये जो स्कूलों में नई लिपि सीखेंगे समस्त प्रकाशित साहित्य अपाठ्य हो जायेंगा। ऐसी ही परिस्थिति अंग्रेजों के सामने आई थी। spelling reform का प्रश्न उनके सामने उपस्थित हुआ। “laugh” को “laf” करना सरल है, “might” को “mite” करना सरल है, कोई कीठनाई नहीं है, किन्तु, जितना साहित्य आज तक छपा हुआ है वह साहित्य किसी काम नहीं आयेंगा और यह कि वह दुबारा छपाया जाय, सो संभव नहीं। हमारा राष्ट्र धनी नहीं, किन्तु, यदि हमारा राष्ट्र धनी भी होता तो भी यद्ध सम्भव नहीं होता।

इस प्रकार की अनेक बातें हैं। मैं सदस्यों से यही प्रार्थना करूंगा कि वर्तमान नागरी

लिपि को, जिस रूप में वह अनेक भाषाओं में विद्यमान है, संस्कृत में, नेपाली में, मराठी में, हिन्दी में, राजस्थानी में, उसको उसी तरह स्वीकार करें। जो typewriter आज फैले हुये हैं उनमें से ही हम किसी एक को मान लें। अंग्रेजी में आपको ध्यान होगा कि आज से तीस वर्ष पहले सारं typewriter का keyboard एक ही नहीं था। मेरे पास Royal था। वह Remington से अलग था। प्रत्येक कम्पनी का keyboard अलग अलग था। कोई भी keyboard यदि आप आवश्यक समझते हैं, तो थोड़े समय के लिये स्वीकार कर लीजिये। देवनागरी लिपि में यदि आप कोई भी परिवर्तन करेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। लखनऊ में बहुत थोड़े परिवर्तन किये गये किन्तु जितना थोड़ा परिवर्तन किया गया वह भी रुचिकर नहीं है क्योंकि वह हमारी लिपि के ऐतिहासिक विकास के विरुद्ध है। हमारी लिपि का जो सम्बन्ध दूसरी बहनों के साथ है वह इस प्रकार से टूट जाता है और उससे जो लाभ का अनुमान किया जाता है वह नहीं होता।

मैंने आपका बहुत समय लिया, उसके लिये मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुझे आशा है कि शासन लिपि में कोई परिवर्तन किये बिना ही इस बात को स्वीकार करेगा कि typewriter का कोई भी एक keyboard मान कर चले, हिन्दी के मार्ग में कोई रुकावट नहीं पड़नी चाहिये। केवल इस कारण से कि शासन ने कोई निश्चय नहीं किया है, अनिश्चितता की स्थिति अच्छी नहीं है।

श्री कन्हैयालाल शर्मा (मध्य भारत): उपसभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और समर्थन इस लिये करता हूँ कि विधान में हमने यह स्वीकार किया है कि १५ वर्ष में हिन्दी भाषा पूर्णरूप से राष्ट्रभाषा हो जायगी। जैसी हमारी सरकार की नीति है उससे मैं विश्वास करता हूँ

कि शिक्षा मंत्रालय इस बात की पूर्ति करने में कोई कसर नहीं रख रहा है, फिर भी यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। जिस प्रकार के भाषण अभी यहां सदन में हुये और माननीय सत्यनारायण जी ने जो तथ्य की बातें बतलायीं उनसे कुछ शंका सी होती है कि वास्तव में १५ वर्ष के अन्दर हिन्दी का मामला पार पा सकेगा या नहीं।

एक पत्रकार के नाते मेरा भी सम्बन्ध हिन्दी भाषा के पत्रों से तीस वर्ष से रहा है और मैं यह अनुभव करता रहा हूँ कि इस प्रकार की अव्यवस्थित स्थिति से भाषा का प्रचार मन्द गति से होता है और जो लोग भाषा सम्बन्धी कार्य करना चाहते हैं उनको भी बहुत सी कीठनाइयों का सामना करना पड़ता है। की-बोर्ड के सम्बन्ध में कमेटीयों के बनने के बावजूद किसी निष्कर्ष पर न पहुँचना ठीक बात नहीं है। इस चीज को लेकर पत्रकार जगत में भी काफी कीठनाई का सामना करना पड़ता है। यदि की-बोर्ड की समस्या हल हो जाय तो पत्रकार जगत का बहुत कुछ काम सुलभ हो सकता है और राष्ट्रभाषा का जो असली स्वरूप देश में होना चाहिये उसके प्राप्त करने में भी आसानी हो सकती है।

डाक्टर रघुवीर ने दूसरे पहलुओं पर काफी प्रकाश डाल दिया है। मेरा केवल इतना निवेदन है कि यह एक ऐसा प्रश्न है कि इस पर शिक्षा मंत्रालय को अधिक गंभीरता से विचार करना चाहिये और इसमें इतनी देरी नहीं होनी चाहिये। अगर इसमें देरी हुई तो विधान में जो १५ वर्ष का समय दिया गया है वह केवल लिखा ही रह जायगा और हम समय के अन्दर राष्ट्रभाषा को असली स्वरूप नहीं दे पायेंगे। इस लिये मेरा यह सुझाव है कि शिक्षा मंत्रालय को इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। मैं माननीय श्री रघुवीर सिंह को भी इसके लिये बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रस्ताव के द्वारा सदन का ध्यान खींचने की

[श्री कन्हैयालाल डी० वेंच]  
काशिश की है और हिन्दी भाषा की एक प्रकार से बहुत सेवा की है। अन्त में मैं फिर इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूँ।

श्री जे० एस० बिष्ट (उत्तर प्रदेश): मैं डाक्टर रघुवीर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और वह यह है कि आपने यह कहा कि जैसी लिपि है वैसी ही होनी चाहिये। उसी तरह के यंत्र बन जायेंगे और १४० या १२० अक्षर उस में हो जायेंगे और उसके लिये अपनी भाषा को नहीं बिगाड़ना चाहिये। मगर मैं यह पूछता हूँ कि उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिये या नहीं? आपका नाम डाक्टर रघुवीर है, तो इसमें आप एक्सपर्ट आखिर में क्यों दंते हैं?

डा० रघुवीर: यह पर्सनल क्वेश्चन है।

श्री जे० एस० बिष्ट: आज जब भाषण हो रहे थे तो मैंने उसमें बराबर महाकवि कालिदास पुना जब कि वह 'महाकवि कालिदास' होना चाहिये, जैसा कि संस्कृत में होता है। तो ये जो हमारे हिन्दी के बड़े बड़े नेता हैं उनका यह काम है कि वे उच्चारण ठीक करें।

डा० रघुवीर: यह उच्चारण का प्रश्न है। उपसभापति महोदय, आप बड़ी अच्छी प्रकार इस बात को समझ रहे हैं और आप स्वयं उत्तर दे सकते थे। स्थिति यह है कि उच्चारण में मेरा नाम रघुवीर ठीक होगा। यदि गांव का व्यक्ति बीर कहता है तो ठीक कहता है। किन्तु, कोई व्यक्ति यदि इसका स्वरूप बदलना चाहता है जैसे इंग्लैंड में गामीण व्यक्ति "I'm not going." मैं double negative का प्रयोग करते हैं किन्तु पढ़ लिखे व्यक्ति I am not going यह प्रयोग करेंगे।

हिन्दी में गरीब कह सकते हैं अर्थात् 'ग'

का प्रयोग कर सकते हैं। किन्तु जो पढ़ लिखे व्यक्ति हैं वे 'गरीब' कहेंगे अर्थात् 'ग' का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार गांव का व्यक्ति 'मजूर' कहेंगे और पढ़ लिखे व्यक्ति 'मजदूर' कहेंगे। जब लोग संस्कृत का रूप अपनाना चाहते हैं जिसे उत्तर, दीक्षिण, पूर्व, पश्चिम में एक समान समझा जाय, तो इसका उच्चारण 'वीर' करते हैं। अंग्रेजी में कोई दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर "long vowel" short vowel" नहीं है। अंग्रेजी में यदि रिसीट लिखना हो तो "receipt" लिखेंगे और फिर उच्चारण में 'p' तो बोलते नहीं ओर दीर्घ स्वर प्रदर्शित करने के लिये 'ei' लिखते हैं। अंग्रेजी में दीर्घ स्वर और ह्रस्व में कोई अन्तर नहीं है। किन्तु हिन्दी में दीर्घ स्वर से शब्द स्त्रीलिंग हो जायगा, पुल्लिंग नहीं रहेगा। इसी लिये मैंने कहा था 'कालिदास' होना चाहिये, 'कालिदासा' नहीं वह स्त्रीलिंग हो जायगा।

THE PARLIAMENTARY SECRETARY TO THE MINISTER FOR EDUCATION (DR. K. L. SHRIMALI): Mr. Deputy Chairman, the mover of the Resolution, my hon. friend Dr. Raghubir Singh in moving his Resolution said that the Ministry has not been sincere and serious.....

DR. RAGHUBIR SINGH: I did not use that word.....

DR. K. L. SHRIMALI: Well, I have that note; and it will be on record. He said the Ministry has not been serious and sincere about this work of preparing a Hindi typewriter. Sir, I totally repudiate the charges which he has made against the Ministry and if my hon. friend is open-minded, he would withdraw his Resolution when the correct position is explained to him.

I am afraid my hon. friend has over-simplified the whole problem. The problem of script and that of the

typewriter are connected. You cannot prepare the typewriter unless there is settlement about the question of script. From the discussion that we had in the Sabha today, we must have noticed that there are sharp differences with regard to the script. I would only quote from the two important reports which have been published, to show to what extent there are differences in regard to the script and unless these differences are resolved, or unless we can resolve them, the question of the typewriter could not be easily settled. This is from the Report of a Committee—DEVA NAGARI LIPI SUDHAR SAMITI—which was appointed by the Government of Uttar Pradesh, of which Acharya Narendra Deva was the Chairman and in the very introduction of the Report they say:

विधान परिषद की यह समिति (This is a reference committee to which Dr. Raghubir Singh had made a reference).

मुख्यतः शार्टहैंड की एक रूपता, टेली-प्रिंटिंग संबंधी प्रश्न तथा हिन्दी टाइपराइटर्स की एकरूपता और सुधार के सुभाव उपस्थित करने तथा इससे सम्बन्ध रखने वाले अन्य सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिये नियुक्त हुई थी।

“हमारी समिति का प्रधान उद्देश्य लिखने और छापने की सुविधा की दृष्टि से लिपि में सुधार के सुझावों को उपस्थित करना था। पर स्पष्टतः एक सीमा ऐसी थी जहाँ हम दोनों के अधिकार क्षेत्र मिलते थे। अतएव प्रारम्भ से ही हमें यह ध्यान बराबर बना रहा कि दोनों समितियों के निर्णयों में जहाँ तक हो साम्य स्थापित किया जाय। क्योंकि बँसी दशा में ही हम हिन्दी और हिंदी भाषी जनता का अधिक से अधिक कल्याण कर सकेंगे और व्यर्थ के विवाद की आशंका नष्टप्राय हो जायगी। पर यह कार्य बहुत कीठन था। फिर भी दोनों के समझौते में ही भलाई थी और इसलिये हमें प्रत्येक बात

को एक बहुत ही गंभीर वातावरण में देखना था। फलतः २० जुलाई १९४६ ई० की बैठक में हमारी समिति ने इसी उद्देश्य से निश्चय किया कि न्यूनतम परिवर्तन से अधिकतम लाभ के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे सुझाव रखें कि सरकार की ओर से जनता के सम्मुख जाने पर वह कम से कम विरोध के कारण हों।”

And then the Report continues:

“इसी प्रकार कुछ विलंब इसलिये भी हुआ कि हमें केन्द्रीय समिति के साथ भी विचार करना आवश्यक था। निदान दोनों समितियों के लिये सुविधाजनक स्थान और तिथि का निश्चय होने में भी समय लगा और संयुक्त बैठक नवम्बर और १ दिसम्बर ४६ के पहले न हो सकी। इस बैठक में भी अन्तिम निर्णय न हो सका और हम इस प्रयत्न में रहे कि हमारे बीच में विचार साम्य की ओर सुविधा मिल जाय या हम किसी ऐसे निर्णय या निर्णयों को छोड़ सकें कि मतभेद दूर हो जाय। हमें प्रसन्नता है कि हम अपने इस उद्देश्य में बहुत अधिक सफल हुए। जहाँ तक सैद्धान्तिक नियमों की बात है उनमें हमने इस मतभेद को बहुत दूर किया है। हाँ, यह अवश्य है कि हम टाइपराइटर संबंधी मुद्दे पटल में इस मतभेद को दूर न कर सकें।”

Both the Committees met together and discussed the question. The Acharya Narendra Committee said that in spite of the best efforts, these could not be resolved.

“और इसके लिये हमें पुनः एक उप-समिति बनानी पड़ी। हमारी समिति का विवरण लिखा जा चुका था और जब वह स्वीकारार्थ ता० २४, २५ फरवरी ४६ की अंतिम बैठक में उपस्थित हुआ तो उस समय तक केन्द्रीय समिति ने कृपापूर्वक अपना विवरण भी भेज दिया था। इस पर विचार करने पर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारा काम पूर्णतया केन्द्रीय समिति द्वारा

[डा० के० एल० श्रीमाली]

अनुरोधित मूद्री पटल से नहीं चल सकता। हमें यह भी प्रतीत हुआ कि केंद्रीय समिति ने एक दो महत्वपूर्ण बातों और सुझावों का भी ध्यान नहीं रखा।”

Then Sir, the matter was fully discussed in the conference which was convened by the Government of Uttar Pradesh and there were sharp differences with regard to the script. I shall quote from the speech which Kaka Saheb Kalelkar made at that Conference:

“If the Devanagari script is to survive and to succeed we shall have to introduce certain additional sounds and symbols and make a few necessary minimum alterations.”

He further said:

“I am one of those who are unwilling to change the nature of the script. The changes that we introduce must be the minimum. If we add one or two signs, they must conform to the genius of the script. The evolution of the script will take place by the efforts of the whole race.”

In his opinion there were sharp differences as regards two matters:

They are (1) the invariable use of the *shirorekha* and (2) the acceptance of *swarakhari*. He requested the Conference to recognise that the *shirorekha* is not an essential part of Nagari letters but if it appealed to the sense of beauty and conservatism of some people he did not think it necessary to quarrel with them; if they wanted to retain the *shirorekha*, they might do so. As regards the *swarakhari*, he pleaded for the acceptance of the plan of indicating the sounds of ई, उ and ए by adding the matras of these sounds to अ as is done in case of consonants. Now, everybody knows that the suggestions of Kaka Saheb Kalelkar are not acceptable to a large number of people. The whole question before the Government was how to proceed about this business. The Committee

which was appointed by the Speaker, submitted its report in 1951—the Report of the Finalising Committee with the Report of the Hindustani Short-hand and Hindi Typewriter Standardisation Committee. This Report was before the Government and Government gave full consideration to it, and it was decided that the improved key-board designed by the Committee be covered by a patent and a few typewriters manufactured according to that key-board subjected to exhaustive tests for speed and accuracy. Secondly, the authors claiming to have designed better key-boards be also asked to supply machines for similar tests and Government's final decision on the selected key-board be announced on the completion of tests on all such machines, over a period of twelve months. Now, as a result of this, the Ministry got two typewriters manufactured and we also issued a Press Note, inviting the manufacturers of all typewriters to submit their machines for the purpose of test and trial. It has issued on 4th June 1953. Then the Government also appointed a Committee, known as “The Hindi Typewriter Testing Committee” for the purpose of conducting the proposed tests. Dr. Raghubir Singh, my hon. friend has held the opinion that these people were not competent for the job. But in the opinion of the Government it was a committee of experts competent to test typewriters.

DR. RAGHU VIRA: संसद् सचिव महोदय क्या यह बतलायेंगे कि यह scientific experts की समिति लिपि के सम्बन्ध में बनी थी अथवा keyboard की engineering के सम्बन्ध में?

DR. K. L. SHRIMALI: This was the Hindi Typewriter Testing Committee.

DR. RAGHU VIRA: क्या यह समिति भाषा की दृष्टि से बनाई गई थी?

SHRI M. SATYANARAYANA: The mechanical side.

DR. K. L. SHRIMALI: Yes, the mechanical side of it. Now, that

Committee held two meetings, and at the second meeting on 23rd January 1954, they found that they could not proceed with the work unless the question of script was settled. And as I said, there were sharp differences with regard to this question of script, which is apparent from the various reports. They are apparent from the discussions that are held from time to time. The Government are fully aware of the provision in Constitution. It is wrong to say that the Government are indifferent towards Hindi. We were serious about the whole purpose.

But the Government have always put national unity before the question of Hindi. The history of the world is full of examples where people have divided on account of linguistic differences. Government are anxious that the national unity should be preserved and should not be sacrificed in any way. Though we are keen in pushing forward the programme of Hindi and also in preparing the typewriters, we wish to proceed by resolving differences and conflicting opinions as far as possible. After a good deal of deliberation Government have decided that they would accept the recommendations of the Devnagari Script Reform Conference which was held in Lucknow in November 1953, and a committee has already been appointed to suggest a typewriter which will take into account the changes proposed by the Conference in the key-board for the Hindi typewriter and teleprinter.

The facts are now before the House. Dr. Raghubir Singh has suggested that Government have been indifferent and have not been serious about the whole programme. My submission is, Sir, that Government have been quite serious about this but there have been inherent difficulties in the situation. We want to preserve the beauty of the Devanagari script; we want to try to fit it into the machine and we also want speed, accuracy and, at the same time, we want to try to bring about a harmony among the different conflict-

ing groups as far as possible. This is not such a very simple problem as it appears and I may assure the hon. Member that the Government are already taking necessary steps to devise a key-board and to manufacture the typewriters. No time would be lost in this. The Committee has already been appointed and that is doing the needful. I do hope that in view of the facts which I have related, Dr. Raghubir Singh would be convinced that Government have been quite serious about this purpose and that he would withdraw the Resolution.

SHRI M. SATYANARAYANA: I want to put a few questions, Sir.

Dr. Shrimali said that Kakasaheb insisted on certain new changes being introduced but the Committee under the Chairmanship of Kakasaheb himself proposed a particular script; therefore, would it not be taken that what had been decided under his Chairmanship is the final thing as far as the script is concerned?

Dr. Shrimali said that the Testing Committee was only there to look into the mechanical side of it. How was it that they gave an advice to the Government that the script question had to be settled before the mechanical side could be tested? How can that advice be taken into consideration when that Committee was appointed only for the purpose of testing the mechanical side?

Since innumerable typewriters are in use both in the Centre and in the States, is it not possible for the Government, even now, to see that those typists who want to learn Hindi typewriting are recommended a particular key-board till a standard key-board is finalised? Is it not possible to do this now? I want clarification on these three points.

DR. K. L. SHRIMALI: The Hindi Typewriter Testing Committee was to decide about the fixation of the final key-board for Hindi typewriters and when that committee was discussing that question, it came to the con-

[Dr. K. L. Shrimali.]

clusion that no key-board could be fixed for the Hindi typewriters unless the question of the script was settled. The script and the mechanism were linked together. The Committee therefore felt that no key-board could be fixed unless the question of script was settled.

As I have already explained in my speech, there have been sharp differences with regard to the question of the script. It is quite true that the Committee presided over by Kaka-saheb had made certain recommendations but there were other groups which were not in agreement with the recommendations made. There were differences.

Sir, after having considered the whole matter, its *pros* and *cons*, Government have now decided that they would accept the recommendations of the Lucknow Conference and we have already appointed a Committee to go into the question. We are taking early steps to implement those recommendations and I hope my hon. friend is satisfied with what I have said and that he would withdraw this Resolution.

SHRI M. SATYANARAYANA: Evolve a typewriter out of this script.

DR. RAGHUBIR SINH: Mr. Deputy Chairman, I have to thank my fellow colleagues who have done much of my work, either in elucidating my points or in answering the criticism of others. As such, not much remains for me to do.

I should, however, put it on record in clearest terms my clearest refutation of what Dr. Shrimali alleges about what I have said. I never said that the Government was insincere: I could never have used that word. It may have been his impression.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: "There was something wrong" you said.

DR. RAGHUBIR SINH: I will tell you what I said: "The policy of the Government has been faulty, indecisive and full of reticence". That was

what I said and then I also added "there is definitely something wrong with the Ministry" but, Sir, "something wrong with the Ministry" certainly does not mean an expression of insincerity; I could never have done that.

My friend Dr. Shrimali has talked of differences of script and all sorts of things. When a committee was appointed by the Education Ministry in October 1954, to go into the question the Report of the Lucknow Conference was already there; it had been before everybody, either in Delhi or elsewhere, for more than ten months. Well, at that time, the Ministry probably was not thinking of that Report at all. It is just by the way that I want to point out this odd thing.

There was said something about the language in relation to the national unity but I think I need not mention here that the script is not the language. Languages may be different and may have created divisions but I don't think that scripts have created any divisions. Then, Sir, my hon. friend has stressed so much about securing the unity of different views. My friend probably fully remembers the well-known story from the *Aesop's Fable* about the father, the son and the donkey. You cannot please everybody; that is obvious enough and you have got to take into account the sum total of greatest unanimity. This is also, Sir, just by the way.

All I have got to say now, Sir, is that even after all that has been said and done, in this respect, I am still unconvinced but I am still prepared to give the Government a chance. We have waited for eight years; we are prepared to wait for some more time. Let the Government prove its sincerity by action.

In view of what has been said, I am prepared to withdraw my Resolution.

The \*Resolution was, by leave, withdrawn.

\*For text of Resolution see col. 2386 *supra*.